

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :- 823/2024

राजकुमार वैष्णव

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
2. निबंधक, राजस्व मंडल, राजस्थान, अजमेर।
3. संभागीय आयुक्त, भरतपुर, राजस्थान।
4. जिला कलेक्टर, (भू.अ.) जिला गंगापुरसिटी, राजस्थान।
5. श्री गणेश कुमार नामा हाल पदस्थापित लीव रिजर्व, तहसील बामनवास, जिला गंगापुर सिटी।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.02.2024

आदेश की दिनांक : 15.03.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाण्डेय, अधिवक्ता

समक्ष :- चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
1. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्तमान में पटवारी के पद पर पटवार मंडल, खंडीप, तहसील बजीरपुर, गंगापुर सिटी में कार्यरत है। प्रत्यर्थागण के आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक-1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के पटवार मंडल बिन्जारी, बरनाला में किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि निजी प्रत्यर्थागण संख्या 5 का स्थानान्तरण लीव रिजर्व तहसील बामनवास से अपीलार्थी के स्थान पर किया गया है। अपीलार्थी व निजी प्रत्यर्थागण दोनों का स्थानान्तरण एक तहसील से दूसरी तहसील में किया गया है। जबकि एक तहसील से दूसरी तहसील में स्थानान्तरण ना करके तहसील की तहसील में भी स्थानान्तरण किया जाना चाहिए। अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्य करते हुए 2 साल 2 माह का समय हुआ है जबकि स्थानान्तरण नीति के अनुसार 3 वर्ष से पूर्व स्थानान्तरण नहीं किया जाता है। अतः इससे स्पष्ट होता है अपीलार्थी का

स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को समंजित (accommodate) करने के उद्देश्य से किया गया है जो कि अनुचित एवं विधि विरुद्ध है।

2. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक-1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान में पटवारी के पद पर पटवार मंडल, खंडीप, तहसील बजीरपुर, गंगापुर सिटी में ही कार्य करने दिया जावे तथा उसके कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।
3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना-पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन पटवारी के पद पर पटवार मंडल, खंडीप, तहसील बजीरपुर, गंगापुर सिटी में दिनांक 21.01.2021 से कार्यरत है। आलोच्य आदेश द्वारा अपीलार्थी को स्थानान्तरण पंचायत समिति खंडीप अ तहसील वजीरपुर से पंचायत समिति बिन्जारी तहसील बरनाला किया गया एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 का पदस्थापन लीव रिजर्व तहसील बामनवास से पंचायत समिति खंडीप अ तहसील वजीरपुर किया गया है जो अपीलार्थी के वर्तमान स्थान पर समुचित पदस्थापन अवधि के पश्चात किया गया है। विभाग द्वारा प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532)** के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :-

"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal"

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का

- स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।
- 5 जहाँ तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को समंजन (accommodate) करने का प्रश्न है, आलौच्य आदेश में ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को संमजित करने के आदेश से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है।
- 6 प्रस्तुत अपील में हम कोई दुर्भावना एवं नियमों का उल्लंघन नहीं पाते हैं।
7. उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य